[27/2/2026]

कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा (म.प्र)

प्रश्न सं. [क्र. 3033]

परिशिष्ट (अ)

विधानसभा प्रश्न क्र0 3033 तारांकित

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 2779/यां.प्र./07/2024 भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत नगरीय निकाय के पुराने बस स्टैंड को पूरी तरह नए बस स्टैंड में स्थानांतरित करके, पुराने बस स्टैंड को गिराकर नवीन कमर्शियल शॉपिंग काम्प्लेक्स में तब्दील किया जाय, जिसमें पार्किंग और थियेटर एवं रेस्टोरेंट, कॉफी सेंटर एवं मीटिंग तथा बैठक व्यवस्था हेतु अतरिक्त सैद्धांतिक स्वीकृति राशि रुपये 700.00 लाख प्रदान की गई है।

प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति के तारतम्य में नगर पालिका सीधी द्वारा DPR तैयार कराये जाने हेतु कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जाकर निविदा स्वीकृति उपरांत कन्सल्टेन्ट को DPR तैयार करने हेतु दिनांक 12.06.2024 को कार्यादेश जारी किया गया।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./यॉ.प्र./07/2024/7613 भोपाल, दिनांक 24.06.2024 में उल्लिखित संदर्भ अनुसार श्री चन्द्रमोहन, गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता जिला न्यायालय सीधी, एवं अन्य द्वारा दिनांक 14.05.2024 को "सीधी शहर में स्थित पुराना बस स्टैण्ड को तोड़कर शॉपिंग कॉम्लेक्स व मॉल का निर्माण न कराये जाने के संबंध में" पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र एवं आम नगरिक के विरोध उपरान्त उक्त कार्य कराये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 13.11.2024 को परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। परिषद प्रस्ताव क्र. 06 दिनांक 13.11.2024 में चर्चा अनुसार संचालनालय द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृत कार्य योजना को क्रियान्वित करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

परिषद के निर्णय दिनांक 13.11.2024 उपरान्त कन्सल्टेन्सी फर्म को पत्र क्र0 943 दिनांक 21.03.2025, पत्र क्र0 5445 दिनांक 19.12.2025 एवं पत्र क्र0 32 दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से DPR की प्रति निकाय में प्रदान करने हेतु समय-समय पर पत्राचार किया गया। तत्पश्चात कन्सल्टेन्सी फर्म द्वारा पत्र क्र0 दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से नगर पालिका सीधी को लागत रुपये 1279.28 लाख का DPR तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

निकाय द्वारा ले-आउट प्लान का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.07.2025 को आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई, कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक SDILP1710255379/ दिनांक-17/DEC/2025 द्वारा प्रस्तावित कार्य के ले-आउट का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत DPR पत्र क्रमांक 450 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा संभागीय कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा को राशि रुपये 1279.28 लाख के DPR की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजा गया उक्त के संबंध में संभागीय कार्यपालन यंत्री रीवा का पत्र क्रमांक/यां.प्र./2026/230 रीवा दिनांक 03.02.2026 के द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अतिरिक्त राशि का वहन निकाय द्वारा किये जाने के संबंध में सक्षम प्रस्ताव तथा निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोतो से किस तरह से राशि प्राप्त की जायेगी का विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया, उक्त पत्र के संबंध में पीआईसी की बैठक दिनांक 04.02.2026 को प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अतिरिक्त आने वाले अनुमानित व्यय राशि रुपये 579.28 लाख निकाय द्वारा निकाय निधि/स्वयं के स्त्रोतो एवं योजनांतर्गत प्रस्तावित दुकानो के आवंटन से होने वाले राजस्व आय से वहन किये जाने का संकल्प पारित किया जाकर प्रस्ताव संभागीय कार्यपालन यंत्री रीवा संभाग रीवा की ओर अनुमानित लागत रुपये 1279.28 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल की ओर भेजा गया है।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

File No. 5/1/1/0017/2026-Sec-7(Engg)-UAD (Computer No. 1112924)
Generated from eOffice by VINITA YADAV, AG2(VY), ASSISTANT GRADE 2, URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING on 19/02/2026 07:43 pm

कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा (म.प्र)

परिशिष्ट (ब)

विधानसभा प्रश्न क्र0 3033 तारांकित

पूर्व में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3669 का बिन्दुवार उत्तर कार्यालय के पत्र क. 3085 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रेषित उत्तर की प्रति संलग्न है।

प्रश्नाधीन अवधि अर्थात पिछले तीन वर्षो में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बनाई गई अवैध कालोनियों के चिन्हाकन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं नगर पालिका परिषद सीधी के कर्मचारियो का संयुक्त सर्वेक्षण दल का गठन कार्यालय कलेक्टर एवं सक्षम प्रधिकारी जिला सीधी के पत्र क्रमांक 3226 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है। की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

सर्वेक्षण दल द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत कुल 05 अवैध कालोनियों का चिन्हांकन किया गया है। चिन्हांकित कालोनियों का दावा आपत्ति हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाषन म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(2) के तहत दिनांक 31.03.2023 का प्रकाषन दिनांक 01.04.2023 को दैनिक भास्कर एवं विन्ध्य भारत समाचार–पत्र में कराया गया। प्राप्त दावा आपत्ति निराकरण उपरांत नियम 23(3) अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का प्रकाषन दिनांक 08.04.2023 का प्रकाशन दिनांक 09.04.2023 को कराया गया। सुलभ अवलोकन हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाषन समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रकाषित सूचना में समय–सीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(4) के तहत अभिन्यास का प्रकाशन दिनांक 28.04.2023 को दैनिक समय समाचार–पत्र में कराया गया है। सुलभ अवलोकन हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाषन समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार चिन्हित 05 अनधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

File No. 5/1/1/0017/2026-Sec-7(Engg)-UAD (Computer No. 1112924)
Generated from eOffice by VINITA YADAV, AG2(VY), ASSISTANT GRADE 2, URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING on 19/02/2026 07:43 pm